A - 4/1

न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

विविध अपील संख्या 41/2021

मुनेश पत्नि श्री नागरमल, निवासी ग्राम बास भीमसरिया, पोस्ट कोलिण्डा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं।
2. बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, अलसीसर, जिला झुंझुनूं।
3. ग्राम पंचायत कोलिण्डा, पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनूं।
4. मीरा देवी पुत्री फूलचन्द पत्नि शुभकरण, निवासी ग्राम बास भीमसरिया, पो0 कोलिण्डा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील बखिलाफ आदेश बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, अलसीसर

——

1. मुनेश पत्नि श्री नागरमल, निवासी ग्राम बास भीमसरिया, पोस्ट कोलिण्डा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं– स्वयं उपस्थित
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं– स्वयं उपस्थित
3. बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, अलसीसर, जिला झुंझुनूं– अनुपस्थित
4. ग्राम पंचायत कोलिण्डा, पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनूं–अनुपस्थित
5. मीरा देवी पुत्री फूलचन्द पत्नि शुभकरण, निवासी ग्राम बास भीमसरिया, पो0 कोलिण्डा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं– स्वयं उपस्थित मय वकील श्री अनिल महरिया उपस्थित

निर्णय दिनांक :–19.07.2021

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:48:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थिया मुनेश पत्नि श्री नागरमल निवासी ग्राम बास भीमसरिया, पोस्ट कोलिण्डा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3209/2021 मुनेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2021 की पालना करने बाबत दिनांक 30.04.2021 को अपील प्रस्तुत कर न्यायालय निर्णय के अनुसार आंगनबाडी केन्द्र कोलिण्डा में रिक्त आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति देने का निवेदन किया। अपील दर्ज की जाकर उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं से रिपोर्ट तलब की गई एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A-4/2

नोटिस तलब किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है:—

This Court, considering the nature of appointment of Aanganwari Worker on honorarium basis, deems it proper to direct the District Collector who is also an Applellate Authority to examine the grievance raised by the petitioner in the representation dated 08.02.2021. The District Collector, after giving notice to the other side, would decide the issue of appointment by giving proper opportunity to the parties and thereafter, a reasoned and speaking ordr should be passed within a peiod of six weeks. Accordingly, the present writ petition stands disposed of.

अपील व निर्णय दिनांक 01.04.2021 के बाबत उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई हेतु सूचित किया गया। उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं ने अपने पत्रांक 263 दिनांक 07.06.2021 द्वारा न्यायालय में तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया जिसके अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 11 मे अंकितानुसार विभागीय आदेश 2516 दिनांक 15.01.2020 के अनुसार चयन का आधार मूल्यांकन प्रपत्र मे बिन्दु संख्या 6 पर एनएफएसए/अन्त्योदय मे सम्मिलित परिवारों का एक अंक दिया जाना निर्धारित है। जिसमे मीरा पत्नि शुभकरण के परिवार राशन कार्ड संख्या 200003836894 जो कि आवेदन के साथ 14 नम्बर पर सलंग्न था जिसकी ऑनलाईन जांच करने पर पाया गया कि मीरा पत्नि शुभकरण दिनांक 01.07.2019 से एनएफएसए मे सम्मिलित है जिसके आधार पर एनएफएसए का एक अंक दिया गया है तथा मुनेश पत्नि नागरमल के राशन कार्ड संख्या 007091700332 की जांच की गई जो कि एनएफएसए पात्र नही होने के कारण अंक नही दिया गया।

अपीलान्ट मुनेश देवी, रेस्पोडेन्ट मीरा देवी एवं विभागीय प्रतिनिधि सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित। बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि आंगनबाडी केन्द्र बास भीमसरिया के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर आवेदन के समय आवेदन पत्र मे खादय सुरक्षा (NFSA) का विकल्प नही था। जबकि चयन के समय रेस्पोडेन्ट मीरा देवी को खादय सुरक्षा (NFSA) का 1 अतिरिक्त अंक देकर चयनित कर लिया गया। अपीलान्ट की उम्र रेस्पोडेन्ट मीरा देवी से अधिक है। उक्त पद के लिए जारी विज्ञप्ति मे कहीं भी खादय सुरक्षा (NFSA) के अंक का कोई उल्लेख नही था। ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही नियत दिन नही होकर रेस्पोडेन्ट मीरा देवी के चयन के लिए बाद मे खानापूर्ति कर की गई है। रेस्पोडेन्ट ने आवेदन के साथ [illegible] नही लगाया था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट मीरा देवी का चयन [illegible] हुआ है [illegible] रेस्पोडेन्ट मीरा देवी का चयन निरस्त कर अपीलान्ट का चयन आंगनबाडी केन्द्र बास भीमसरिया के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:48:03 IST
Reason: SelfAttested

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि आंगनबाडी केन्द्र बास भीमसरिया के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन के लिए

A

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A-4/3

आवेदन पत्र के साथ अपीलान्ट का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा (NFSA) से नही जुडा हुआ है। आवेदन पत्र मे राशन कार्ड सलंग्न करने के स्पष्ट निर्देश थे। विभाग के परिपत्र के अनुसार ही रेस्पोडेन्ट मीरा देवी द्वारा राशन कार्ड प्रस्तुत करने एवं राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा (NFSA) से जुडा होने उसे उसे 1 अंक अधिक दिया जाकर उसका चयन किया गया है। अपीलान्ट का आवेदन पत्र चयन के समय निर्धारित पात्रता अंक मूल्यांकन मे नही होने से चयन नही किया गया है। बहस के दौरान विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा किये गये आवेदन की छाया प्रति पेश की। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त कर रेस्पोडेन्ट मीरा देवी का चयन बहाल रखा जावे।

रेस्पोडेन्ट मीरा देवी ने अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि आंगनबाडी केन्द्र बास भीमसरिया के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन के लिए आवेदन पत्र के साथ उसके द्वारा राशन कार्ड प्रस्तुत किया गया था एवं उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा (NFSA) से जुडा होने उसे उसे 1 अंक अधिक दिया जाकर उसका चयन किया गया है। रेस्पोडेन्ट का चयन सही तरीके से किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त की जावे।

हमने बहस अपीलान्ट, विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिपोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। चूंकि आंगनबाडी केन्द्र बास भीमसरिया के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन के लिए आवेदन के समय उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा (NFSA) से जुडा हुआ नही होने के कारण उसे 1 अंक का लाभ नही दिया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट मे रेस्पोडेन्ट मीरा देवी को 7 अंक मिले है एवं अपीलान्ट को 6 अंक मिले है। विभाग के परिपत्र के अनुसार ही अधिक अंक होने से रेस्पोडेन्ट मीरा देवी का चयन किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नही है। अतः सारहीन होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं एवं बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, ~~अलसीसर~~ जिला झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.07.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

19/07/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर,झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:48:03 IST
Reason: SelfAttested